



राजस्थान सरकार

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:-ग्रामीण सेवा शिविर-2025


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

-:: आदेश ::-

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- ....बन्जारिया..... व भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- ....खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. बंजारिया

पटवार मण्डल- ....बन्जारिया ..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की दी संवत्- .....2075-2078..... में खाता संख्या-509..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
बंजारिया	509	पुनकी पत्नि नवलराम	पुनी पत्नि नवलराम

  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)


:- सेवा शिविर-2025/25/2025/1529-1546

दिनांक :-18.09.2025

पी :-

तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

प्रार्थी श्री ..... पुनी पत्नि नवलराम ..... को सूचनार्थ।  
रक्षित पत्रावली।

  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)